इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 676] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 23, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

एफ 1-3-2008-बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगाः—

(क) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जिन्होंने संविदा नियुक्ति कालावधि के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार पात्र पाए गए हों तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किए गए हों।

(ख) क्रमशः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शिक्षक श्रेणी–2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 को सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा। आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात् होगी।

(ग) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त कियाजाएगा। जिन्होंने अनुसूची–दो के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(घ) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः–

(एक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत –अध्यक्ष

(दो) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत –सदस्य (संबंधित)

(तीन) जिला शिक्षा अधिकारी/सहकारी आयुक्त, आदिम जाति कल्याण –अध्यक्ष

(चार) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी –अध्यक्ष "।

2. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"6. पदोन्नति–अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति के संनियम राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। पदोन्नति पर नियुक्ति अनुसूची–चार में विर्निदिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाएगी। वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा।"।

3. नियम 8 में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोडे जाएं, अर्थात्:–

"(छ) राज्य सरकार द्वारा शालाओं में उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए अनुदेश, इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलियित किए गए किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।

(ज) इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलियित किए गए व्यक्ति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 24 में

यथा विहित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात्:–

(एक) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन;

(दो) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना;

(तीन) विर्निदिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(चार) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना;

(पांच) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षण ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना; और

(छह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(झ) इन नियमों के अधीन नियोजित एवं संविलियित किए गए व्यक्ति के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार किया जाएगा।"।

4. अनुसूची–चार में,–

(1) अनुक्रमांक–1 के सामने, कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण–प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा तथा धारित पद पर सात वर्ष का अनुभव तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट संनियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पाया जाए।"।

(2) अनुक्रमांक–2 के सामने, कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण–प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा तथा धारित पद पर सात वर्ष का अनुभव तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट संनियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पाया जाना।"।

5. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

No.F.01-3-2008-22-P-2.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) The Samvida Shala Shikshak shall be appointed on the relevant post of 'Adhyapak Samvarg' under the following conditions:-

(a) In the Adhyapak Samvarg such Samvida Shala Shikshak shall be appointed who has completed three years contract appointment period and have been found eligible as per the norms specified by the State government and fixed by the scrutiny committee constituted to consider the eligibility for appointment in Adhyapak Samvarg.".

(b) Samvida Shala Shikshak Grade-1 shall be appointed as Varishth Adhyapak, Samvida Shala Shikshak Grade-2 as Adhyapak and Samvida Shala Shikshak Grade-3 as Sathayak Adhyapak respectively on minimum of the pay scale of Adhyapak Samvarg. The date of next increment shall be after completion of one year service.

(c) In Adhyapak Samvarg such Samvida Shala Shikshak shall be appointed who have acquired the educational and teaching/training qualification as prescribed in column (3) of the Schedule-II.

(d) A committee shall be constituted known as Scrutiny Committee for the appointment of Adhyapak Samvarg which shall consist of the following persons:

(i)	Chief Executive Officer, Jila Panchayat	-	President
(ii)	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat (Concerned)	-	Member
(iii)	District Education Officer/Assistant Commissioner Tribal Welfare	-	Member Secretary
(iv)	One Officer from the Schedule Caste/Schedule Tribe category	-	Member

2. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely :-

"**6. Promotion.-** The norms for promotion in Adhyapak Samvarg shall be specified by the State government. Appointment on promotion shall be made through Departmental Promotion Committee constituted as specified in Schedule-IV. Fixation of the pay shall be done as per the rules of the Panchayat Department made in this behalf.".

3. In rule 8, after clause (f), the following clauses shall be added, namely :-

"(g) The instructions issued by the State Government from time to time regarding recording of attendance in schools and dress code shall be binding for the person who is appointed or merged under these rules.

(h) The person who is appointed or merged under these rules shall perform the following duties as prescribed in section 24 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), namely :-

(i) Maintain regularity and punctuality in attending school;

//3//

(ii) Conduct and complete the curriculum;

(iii) Complete entire curriculum within the specified time;

(iv) assess the learning ability of each child and accordingly, supplement additional instructions, if any, as required;

(v) hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child; and

(vi) perform such other duties as may be prescribed.

(i) The annual work performance appraisal of a person who is appointed or merged under this rules shall be as may be notified by the State Government in this behalf.".

4. In Schedule-IV,-

(1) in column (4), against serial number 1, for the existing entries, the following entrics shall be substituted, namely :-

"Master's degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/Diploma and minimum seven years experience on the post held and found suitable as per norms and procedure specified by the State Government in this regard.".

(2) in column (4), against serial number 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Bachelor degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/Diploma and minimum seven years experience on the post held and found suitable as per norms and procedure specified by the State Government in this regard.".

5. This amendment shall come into force form the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.